पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–12/2017 93 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार भा0प्र0से0,

अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

पटना/गया/वैशाली/ औरंगाबाद/नवादा/कैमूर/जहानाबाद/बाँका/अरवल/सुपौल।

पटना–15, दिनांक– 25/9/17

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹344.086 लाख (तीन करोड़ चौवालीस लाख आठ हजार छः सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत मूल बजट उपबंध तथा प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।

उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	38	0	0	232.00 (दो करोड़ बत्तीस लाख)	152.00 (एक करोड़ बावन लाख)	384.00 (तीन करोड़ चौरासी लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से, रेल दुर्घटना
2	गया	4	2	0	225.198 (दो करोड़ पच्चीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ)	16.086 (सोलह लाख आठ हजार छः सौ)	241.284 (दो करोड़ इकतालीस लाख अठाईस हजार चार सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
3	वैशाली	2	0	0	145.52 (एक करोड़ पैतालीस लाख बावन हजार)	8.00 (आठ लाख)	153.52 (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार)	पानी में डूबने से
4	औरंगाबाद	5	0	0	69.093 (उनहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ)	20.00 (बीस लाख)	89.093 (नवासी लाख नौ हजार तीन सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात
5	नवादा	2	0	0	100.00 (एक करोड़)	8.00 (आठ लाख)	108.00 (एक करोड़ आठ लाख)	पानी में डूबने से
6	कैमूर	2	0	0	125.68 (एक करोड़ पचीस	8.00 (आठ लाख)	133.68 (एक करोड़ तेतीस	सामूहिक सड़क दुर्घटना

					लाख अड़सठ हजार)		लाख अड़सठ हजार)	
7	जहानाबाद	27	0	0	128.00 (एक करोड़ अठाईस लाख)	108.00 (एक करोड़ आठ लाख)	236.00 (दो करोड़ छत्तीस लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
8	बाँका	1	0	0	96.00 (छियानवे लाख)	4.00 (चार लाख)	100.00 (एक करोड़)	वज्रपात
9	अरवल	3	0	0	24.30 (चौबीस लाख तीस हजार)	12.00 (बारह लाख)	36.30 (छत्तीस लाख तीस हजार)	पानी में डूबने से
10	सुपौल	2	0	0	80.127 (अस्सी लाख बारह हजार सात सौ)	8.00 (आठ लाख)	88.127 (अठासी लाख बारह हजार सात सौ)	वज्रपात
कुल योग		**86**	**2**	**0**	**1225.918 (बारह करोड़ पचीस लाख इक्यानवे हजार आठ सौ)**	**344.086 (तीन करोड़ चौवालीस लाख आठ हजार छः सौ)**	**1570.004 (पंद्रह करोड़ सत्तर लाख चार सौ)**	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, पटना के 1297 दिनांक 20.09.17 / गया के पत्रांक 2640 दिनांक 12.09.17, 2641 दिनांक 12.09.17, 2639 दिनांक 12.09.17 / वैशाली के पत्रांक 852 दिनांक 19.09.17 एवं 853 दिनांक 19.09.17 / औरंगाबाद के पत्रांक 553 दिनांक 18.09.17 एवं 552 दिनांक 18.09.17 / नवादा के पत्रांक 344 दिनांक 13.09.17 / कैमूर के पत्रांक 486 दिनांक 15.09.17 / जहानाबाद के पत्रांक 1470 दिनांक 19.08.17 एवं 1705 दिनांक 23.09.17 / बाँका के पत्रांक 248 दिनांक 15.09.17 / अरवल के पत्रांक 212 दिनांक 15.09.17 / सुपौल के पत्रांक 1202–2 दिनांक 12.09.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। घायलों एवं मृत व्यक्तियों के आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 / वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक–.......93......./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/9/17

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक–.......93......./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/9/17

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक–.......93......./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/9/17

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक –.......93......./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/9/17

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25/9/17

अपर सचिव

ज्ञापांक–.......93......./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 25/9/17

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)–सह– प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

अपर सचिव